Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

मझवार जनजाति

में प्रथागत कानून का मोनोग्राफ अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर

Chhattisgarh
TRTI
TRIBAL RESEARCH AND
TRAINING INSTITUTE

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 18

मझवार जनजाति

में प्रथागत कानून का मोनोग्राफ अध्ययन

निर्देशन

शम्मी आबिदी (आई.ए.एस.)

संचालक

मार्गदर्शन

डी.पी.नागेश

उप संचालक

-: संकलन एवं लेखन कार्य:-

श्रीकांत कसेर (सहायक संचालक)

निलेश कुमार सोनी (अनुसंधान सहायक)

जी.एल. बलेन्दर (अनुसंधान सहायक)

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

अनुक्रमणिका

क्र.	अध्याय	विवरण
1	अध्याय – 1	प्रस्तावना
2	अध्याय – 2	अध्ययन प्राविधि एवं क्षेत्र
3	अध्याय – 3	मझवार जनजाति का संक्षिप्त परिचय
4	अध्याय – 4	मझवार जनजाति में प्रथागत कानून
5	अध्याय – 5	परम्परागत न्याय व्यवस्था

अध्याय — 1

प्रस्तावना

आदिम संस्कृति रीति–रिवाज, परम्पराओं, प्रथाओं की अपनी विशिष्ट पहचान होती है। इसके अंतर्गत जाति समानता, लिंग समानता, सामूहिक सहभागिता, सहयोगिता, भाईचारा, एवं सबसे विशिष्ट, प्रकृति से निकट सम्बंध शामिल है, जो अन्य सभी संस्कृतियों से आदिम संस्कृति को पृथक करती है। आदिम संस्कृति में मनुष्य का जीवन बिल्कुल सरल होता है। इनका दृष्टिकोण उपयोगवादी तथा विचारधारा जीयों और जीने दो की होती है। उपयोगिता के साथ–साथ इनकी कार्य योजना सामूहिक सहयोगिता एवं अनुशासन पर टिकी हुई है। आदिवासी चेतना के अन्तर्भाव में प्रकृति के नियम के अंतर्गत संग्रह की अपेक्षा त्याग, प्रतिशोध की अपेक्षा दया, क्षमा आदि का महत्वपूर्ण स्थान है।

आदिवासियों की अपनी–अपनी बोली (भाषा) होती है। यह बोली जाति के आधार पर ही होती है। आदिवासीयों में गोत्र (CLAN) का महत्वपूर्ण स्थान है। गोत्र एक बर्हिविवाही समूह होता है। गोत्र की उत्पत्ति एक पूर्वज से मानी जाती है जो कि काल्पनिक या वास्तविक हो सकता है, तथा यह आवश्यक नहीं है कि पूर्वज मनुष्य ही हो। वह एक पशु पक्षी, पेड़ पौधा तथा अन्य भौतिक पदार्थ भी हो सकते है। एक पूर्वज की संतानो का गोत्र एक ही होता है ऐसे सभी सदस्यों को रक्त संबंधी माना जाता है। इनमें परस्पर विवाह निषेध होता है। इनमें नाना प्रकार की विवाह प्रथाएँ, लमसेना प्रथा, दूध लौटाने की प्रथा (भ्राता–भगिनी विवाह), परिवीक्षाधीन विवाह, पारस्परिक सहमति (पलायन) विवाह, अपहरण विवाह, पुर्नविवाह आदि प्रचलित है। जनजातियों में विवाह के समय वर पक्ष से सुक–दाम लेने की प्रथा होती है। यह प्रथा जनजातियों की विशिष्ट पहचान है। इसके अंतर्गत वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के घर वालो को सुक–दाम के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, इसे ही सुक–दाम या वधुमूल्य कहा जाता है। प्रत्येक गांव में आपसी झगड़े के निपटारे के लिए इनकी जाति पंचायत अदालत होती है। यह पंचायत किसी पुराने पेड़ के नीचे या चौक चौराहे पर आयोजित की जाती है। यदि पंचायत के फैसले का कोई व्यक्ति अवहेलना करता है तो ऐसे व्यक्ति को जाति समाज से अलग कर बहिष्कृत कर देते हैं।

आदिवासियों में आभूषणों एवं गोदना गोदवाने के प्रति विशेष लगाव देखने को मिलता है। इनके गहने प्रायः चांदी, गिलट, अथवा अन्य मिश्रित धातुओं से निर्मित होते हैं। इनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि, वनोपज संग्रह, मजदूरी, शिकार आदि पर आधारित होता है। इनका मुख्य भोजन चावल, कोदो–कुटकी, मड़िया का अन्न हैं, इसके अलावा मौसमी हरी साग– सब्जी, जंगली कंद मूल, भाजी आदि खा कर जीवन निर्वाह करते हैं। त्यौहार उत्सव के अवसरों पर मांस के साथ महुवा से बना शराब एवं चावल से बना हॅड़िया आदि का सेवन भी करते हैं। ये गीत संगीत नृत्य आदि में विशेष रूचि रखते हैं। इन्ही से इनके जीवन में उर्जा, उत्साह, उमंग का संचार होता है। इनके अपने तीज त्यौहार है। इन अवसरों में अपने कुल देवी–देवता एवं ग्राम देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्हे महुवा, हड़ियॉ, शराब का तर्पन एवं बकरा या मुर्गा आदि की बलि भी चढ़ाते हैं। ये भूत प्रेत जादू टोना पर भी विश्वास करते हैं।

प्रत्येक जनजाति समूह की अपनी रीति–रिवाज, परम्पराऐं, प्रथाएं रूढीयाँ है। जो पीढ़ी–पीढ़ी दर हस्तांतरित होती रहती है। इन्हीं परम्पराओं एवं प्रथाओं से जनजाति समुदाय अनुशासित होती है। इनका पालन करना सभी सदस्यों का परम कर्त्तव्य है। आदिवासी संस्कृति परम्परा बहुत ही समृद्ध है। यही इन्हे अन्य समाज से अलग करती है।

उद्देश्य :–

1. छततीसगढ़ राज्य में निवासरत मझवार जनजाति की रीति रिवाज, परम्परायें, प्रथागत कानून का अध्ययन करना।
2. मझवार जनजाति में प्रथागत कानून का मोनोग्राफ अध्ययन करना।

महत्व :–

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत मझवार जनजाति एवं उनकी परम्पराओं, रीति रिवाज तथा उनके प्रथागत कानून को जानने में सहायक सिद्ध होगी।

———0———

अध्याय – 2

अध्ययन प्राविधि एवं क्षेत्र

छततीसगढ़ राज्य में निवासरत मझवार जनजाति में प्रथागत कानून का मोनोग्राफ अध्ययन, सरगुजा जिले में लखनपुर एवं अम्बिकापुर तहसील के ग्राम लिपंगी, पटकुरा, गोरिया पीपर, खजूरी, पम्पापुर, सकरिया, चांदो, जगन्नाथपुर, चोटिया, कटिन्दा के समाज पदाधिकारियों से सामूहिक परिचर्चा एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये जानकारियों के आधार पर अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। सामुहिक परिचर्चा में निम्नांकित सामाजिक सदस्य उपस्थित रहे–

क्र.	नाम	पता
1	जीत राम	ग्राम लिपंगी, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
2	नीगन साय	ग्राम लिपंगी, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
3	उसनिधा राम	पटकुरा, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
4	कौशल राम	गोरिया पीपर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
5	कमेश राम	खजूरी, विकास खण्ड अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
6	कृष्णा राम	पम्पापुर, विकास खण्ड लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
7	बालम साय	ग्राम लिपंगी, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
8	फागुन राम	ग्राम लिपंगी, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
9	बिरंग राम	पटकुरा, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
10	राजेन्द्र	सकरिया, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
11	नोहर साय	सकरिया, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
12	भुखल राम	चांदो, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
13	हलसाय	चांदो, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
14	सहदेव	ग्राम लिपंगी, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
15	सोनसाय	पटकुरा, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
16	आलम साय	जगनाथपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
17	इतवार साय	चोड़िया, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
18	जमूना प्रसाद	कटिंदा, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
19	शिवकुमार	कटिंदा, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

अध्ययन क्षेत्र :–

छततीसगढ़ राज्य का संक्षिप्त परिचय :–

छततीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित है। यह मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्व में 17 ₀46 उत्तरी अक्षांश से 24 ₀5 उत्तरी अक्षांश तथा 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.20 पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 135191 वर्ग किलोमीटर है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है।

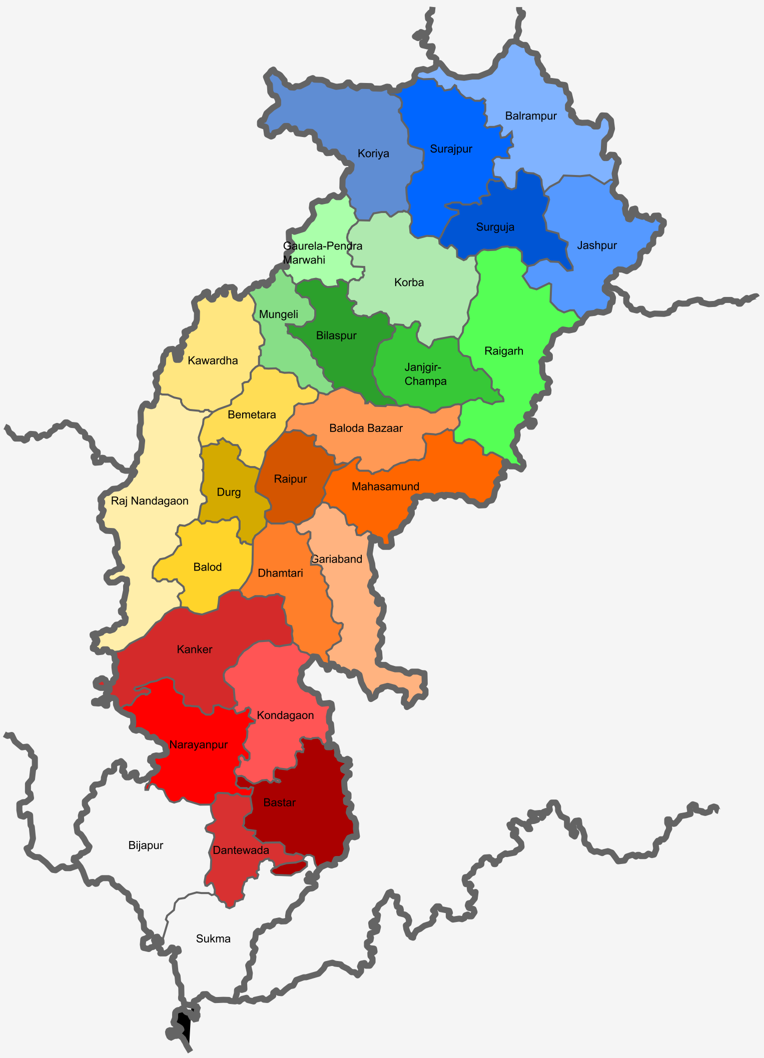

1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आए भारत का 26 वें नवोदित राज्य छततीसगढ़ में मूलतः 16 जिले थे। वर्तमान समय में राज्य में जिलों की कुल संख्या 28 है। राज्य के ये 28 जिले 5 संभागों (बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर एवं दुर्ग) के अंतर्गत आते है।

छततीसगढ़ के भौगोलिक विस्तार में अनेक असमानताएं विद्यमान है। इसके उत्तरी भाग में कोरिया, सरगुजा, तथा जशपुर जिलों में पर्वतमालाओं एवं पठार का विस्तार है। मैकाल पर्वत श्रेणी कवर्धा जिले में दक्षिण–पूर्व तक विस्तृत है। पूर्वी भाग में सत्ती पर्वत लगभग महानदी कछार तक फैला है। रायगढ़ जिला महानदी के उपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है। दुर्ग और राजनांदगांव मैदानी और मैकल श्रेणी में विभक्त है। बस्तर का अधिकांश भाग पठारी है।

2.2 जनसंख्या :—

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2,55,45,198 है। जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 1,28,32,895 एवं महिलाओं की जनसंख्या 1,27,12,303 है।

2.3 जनसंख्या घनत्व :—

छततीसगढ़ राज्य की जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी है।

2.4 जनसंख्या वृद्धि दर :—

छततीसगढ़ राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार (2001—2011) 22.6 प्रतिशत है।

2.5 लिंगानुपात :—

लिंगानुपात महिलाओं एवं पुरूषों के पारस्परिक अनुपात को प्रदर्शित करता है, वर्ष 2011 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति 1000 पुरूषों पर 991 महिलाएं है।

2.6 साक्षरता :—

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की सम्पूर्ण साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों की साक्षरता दर 80.3 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत दर 60.2 प्रतिशत है।

2.7 नगरीकरण :—

नगरीकरण से तात्पर्य कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात से है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में वितरित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या 5,93,7,237 है। यह कुल जनसंख्या का 23.2 प्रतिशत है।

2.8 छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियां :—

ऐसे जनजातियां जिन्हे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है अनुसूचित जनजाति कहलाते है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है किवह किसी जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातीय समूहों की संख्या 42 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 7,82,2,902 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग एक—तिहाई है। सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पायी जाती है। लेकिन प्रदेश के सभी जिलों में इन जातियों का वितरण समान रूप से नहीं है। ये जनजातियां आमतौर पर पहाड़ी तथा वनाच्छादित क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं।

तालिका 2.1

जिलेवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (2011)

क्र.	जिला	कुल व्यक्ति	पुरूष	महिला	अनु.ज.जा. प्रतिशत
1	सरगुजा	1300628	652799	647829	55.11:
2	बस्तर	931780	456841	474939	65.93:
3	जशपुर	530378	262731	267647	62.28:
4	रायगढ़	505609	250473	255136	33.84:
5	बिलासपुर	498469	248172	250297	18.71:
6	कोरबा	493559	246323	247236	40.90:
7	रायपुर	476446	235271	241175	11.72:
8	कांकेर	414770	203934	210836	55.38:
9	दन्तेवाड़ा	410255	199731	210524	76.88:
10	राजनांदगांव	405194	198032	207162	26.36:
11	दुर्ग	397416	196008	201408	11.88:
12	कोरिया	304280	152659	151621	46.18:
13	महासमुंद	279896	137339	142557	27.10:
14	धमतरी	207633	102058	105575	25.96:
15	बीजापुर	204189	101519	102670	80.00:
16	जांजगीर—चांपा	187196	93186	94010	11.56:
17	कवर्धा	167043	82597	84446	20.31:
18	नारायणपुर	108161	53518	54643	77.36:
	योग	**7822902**	**3873191**	**3949711**	**30.60:**

(स्त्रोत जनगणना 2011)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी सरगुजा जिलें में तथा सबसे कम आबादी नारायणपुर जिलें में है।

उपरोक्त सारणी से यह भी स्पष्ट है कि एक ओर जहां बीजापुर जिलें की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 80.00 प्रतिशत है वहीं जांजगीर–चांपा जिले में यह मात्र 11.56 प्रतिशत ही है। राज्य के 7 जिलों – दन्तेवाड़ा, बस्तर, जशपुर, कांकेर, सरगुजा, बीजापुर एवं नारायणपुर में आधी से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है।

2.9 जनजातियों का संकेन्द्रण :–

छततीसगढ़ राज्य में जनजातियों के संकेन्द्रण को तीन भागों में बांटा जा सकता है :–

1. उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र – इसमें कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर मुंगेली तथा जांजगीर चांपा जिलों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां– गोड़, कंवर, नगेसिया, पण्डो, कोरवा, बिरहोर, उरांव, खैरवार, बिझंवार, कोडाकू तथा भैना है।

2. मध्यवर्ती भाग– इस क्षेत्र में रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा जिले है यह क्षेत्र कमार, हल्बा, भतरा, सौंता सवरा तथा बिझंवार आदि जनजातियों का निवास क्षेत्र है।

3. दक्षिणी क्षेत्र – दक्षिणी क्षेत्र में बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा कांकेर जिले शामिल है इस क्षेत्र में गोड़, मारिया, मुडिया, हल्बा, अबुझमाड़िया, परजा, गदबा तथा भतरा आदि जनजातियां पाई जाती है।

2.10 प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां :—

छततीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती है जो निम्नानुसार है :—

1. बैगा	:	कवर्धा, बिलासपुर, कोरिया
2. पहाड़ी कोरवा	:	कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़ एवं जशपुर
3. बिरहोर	:	जशपुर, रायगढ़
4. अबुझमाड़िया	:	नारायणपुर
5 कमार	:	गरियाबंद, धमतरी

सरगुजा जिलें की संक्षिप्त जानकारी :—

सरगुजा भारतीय राज्य छततीसगढ़ का एक जिला है। जिले का मुख्यालय अम्बिकापुर है। भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व भाग में आदिवासी बहुल्य जिला सरगुजा स्थित है। इस जिले के उत्तर में बलरामपुर जिला, पश्चिम में सूरजपुर जिला,दक्षिण पश्चिम में कोरबा जिला, दक्षिण में रायगढ़ जिला तथा पूर्व में जशपुर जिला स्थित है।

3.1 स्थिति :—

इस जिले की अक्षांशीय विस्तार 23'37'25 से 24'6'17 उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 81'37'25' से 84'4'40' पूर्व देशांतर तक है। यह जिला भौतिक संरचना के रूप से विंध्याचल बघेलखण्ड और छोटा नागपुर का अभिन्न अंग है। इस जिले की समुद्र सतह से उंचाई लगभग 609 मीटर है।

3.2 स्थापना :—

इस जिले का स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुआ था जो 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य के निर्माण के तहत मध्यप्रदेश में शामिल कर दिया गया। उसके बाद 25 मई 1990 को इस जिले का प्रथम प्रशासनिक विभाजन करके कोरिया जिला बनाया गया। द्वितीय प्रशासनिक विभाजन कर जनवरी 2012 में बलरामपुर एवं सूरजपुर जिला का गठन किया गया। जिसके बाद वर्तमान सरगुजा जिला का क्षेत्रफल 5732 वर्ग किलोमीटर है। 1 नवम्बर 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से अलग हुआ तब सरगुजा जिले को छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल कर दिया।

3.3 नामकरण :—

सरगुजा के इतिहास से हमें यह पता चलता है कि सरगुजा कई नामों से जाना जाता रहा है। एक ओर जहां रामायण काल में इसे दंडकारण्य कहते थे। वहीं दूसरी ओर दसवीं शताब्दी में इसे डांडोर के नाम से जाना जाता था। यह कहना कठिन है कि इस अंचल का नाम सरगुजा कब और क्यों पड़ा। वास्तव में सरगुजा किसी एक स्थान विशेष का नाम नहीं है बल्कि समुचे भू—भाग को हीं सरगुजा कहा जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पूर्व काल में सरगुजा जो नीचे दिये गये नाम से जाना जाता था।

- सुरगुजा – सुर+ गजा = अर्थात देवताओं एवं हाथियों वाली धरती।
- सुरगजा – सुर+ गजा = आदिवासीयों के लोग गीतो का मधुर गुजंन वर्तमान में इस जिले को सरगुजा नाम से ही जाना जाता है। जिसका अंग्रेजी भाषा में उच्चारण आज भी Surguja ही हो रहा है।

3.4 जलवायु :—

जलवायु यह भौगोलिक अवस्था है, जो समस्त स्थानीय दशाओं को प्रभावित करती है। सरगुजा जिला भारत के मध्य भाग में स्थित है जिसके कारण यहॉ कि जलवायु उष्ण—मानसूनी है। सरगुजा जिले में जलवायु मुख्यतः तीन ऋतु अवस्थाओं का होता है जो निम्नाकिंत है।

ग्रीष्म ऋतु :—

यह ऋतु मार्च से जून तक होती है, चूकि कर्क रेखा जिला के मध्य में प्रतापपुर से होकर सीधे गुजरती है। इसलिए गर्मियों में सूर्य की किरणें यहॉ सीधे पड़ती है। इसी कारण यहॉ का तापमान गर्मियों में उच्च रहता है। इस ऋतु में जिले के पठारी इलाकों में गर्मियों में भी तापमान अपेक्षाकृत कम होता है।सरगुजा जिले के मैनपाठ जिसे छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है।

वर्षा ऋतु :—

यह ऋतु जुलाई से अक्टूबर माह तक होती है, जिले में जुलाई व अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। जिले के दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक होती है। यहॉ की वर्षा मानसूनी प्रकृति की होती है।

शीत ऋतु :–

इस ऋतु की शुरूवात नवम्बर में होती है तथा फरवरी माह तक रहती है। जनवरी यहॉ का सबसे ठण्डा महीना होता है। जिले के पहाड़ी इलाकों जैसे मैनपाट, सामरीपाट में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेट से कम चला जाता है। कभी–कभी इन इलाकों में पाला भी पड़ता है।

3.5 भू संरचना :–

यह क्षेत्र आर्कियन युग एवं गोडवाना कल्प की चट्टानो से मुख्यत: बना है। इसमें अंशत: धारवाड़ एवं गोडवाना क्रम के शैल भी पाये जाते है। गोड़ूवाना शैल समुह से कोयला प्राप्त होता है। लखनपुर एवं उदयपुर आदि क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में बाक्साइड, चूना पत्थर एवं फायर क्ले भी मिलता है।

3.6 मिट्टी :–

यह मुख्यत: लाल पीली एवं अंशत: लेटेराइड मिट्टी का क्षेत्र है। अल्प मात्रा में यहां काली मिट्टी भी पायी जाती है। अधिकांश भाग पर छिछली, कंकरीली, पथरीली, लाल–पीली मिट्टी पाई जाता है। जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है।

3.7 वन :–

यहां वनो की अधिकता है। यहां उष्ण कटिबंधीय आद्र एवं शुष्क वर्णपाती वन पाये जाते हैं। साल वन बहुतायत से हैं। इस क्षेत्र में वनोपज अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है।

3.8 वर्षा :–

उत्तरी क्षेत्र वनाच्छादित, पहाड़ियों वाला क्षेत्र होने के कारण प्रदेश में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अम्बिकापुर में अधिक वर्षा होती है।

3.9 अपवाह तंत्र :–

सरगुजा अंचल की नदियां सरगुजा बेसीन का निर्माण करती है। इसकी सबसे बड़ी नदीं रेड़ नदीं है। जो आगे जाकर सोन नदीं में मिल जाती है। इसे ही सरगुजा जिलें की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदीं को धारण्य, रिहंद, रेणुका नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां घुनघुट्टा, महान, मोरनी, सूर्या, गोबरी आदि हैं। जो सरगुजा क्षेत्र के भूमि को सिंचित करती है।

3.10 फसल :—

क्षेत्र की प्रमुख फसलें चांवल, ज्वार, मक्का, गेहूॅ, जौ, दलहन(चना, तुअर) तिलहन (मुंगफली, तिल, अलसी, सरसों) तथा अन्य नगदी फसलों में गन्ना, फल, सब्जियां एवं मिर्च मसाले आदि हैं।

3.11 व्यवसाय :—

इस क्षेत्र के लोगो का प्रमुख व्यवसाय कृषि, वनोपज संग्रहण, मजदूरी एवं खनिजों का उत्खनन कार्य इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय है।

3.12 पर्यटन :—

इस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों में मैनपाट, ठिनठिनी पत्थर, रामगढ़, महेशपुर, सतमहला, महामाया मंदिर एवं अनेक जलप्रपात एवं अभ्यारण्य हैं।

3.13 जनजातियां :—

यह क्षेत्र घने जंगलो व पहाड़ियों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में मुख्यतः उरांव, कंवर, मुण्डा, नगेसिया, कोरवा, भुंइहर, भूमिया, धनवार, सौंता, बियार, मझवार, मांझी खरिया सवरा, बिरहोर, खैरवार, गोड़, बैगा, अगरिया आदि जनजातियॉ निवास करती है।

3.14 जनगणना 2011 की प्रमुख तथ्य :—

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सरगुजा जिले की कुल जनसंख्या 840352 है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 398381 एवं महिला जनसंख्या 390662 है। सरगुजा जिले की लिंगानुपात 1000 पुरूषो पर महिलाओं की संख्या 980 है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 16.27 प्रतिशत है। तथा अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में प्रतिशत 4.77 प्रतिशत है। एवं संख्या 40090 है तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत कुल जनसंख्या में 57.36 प्रतिशत तथा संख्या 482007 है। जिले की साक्षरता प्रतिशत 60.86 प्रतिशत है।

———0———

अध्याय – 3

मझवार जनजाति का संक्षिप्त परिचय

भारत के विभिन्न क्षेत्रो में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से अपरिचित हैं जो सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़ो, अथवा पठारी क्षेत्रो में निवास करते हैं। इन्हीं समूहो को जनजाति, आदिम समाज, वन्य जाति आदिवासी आदि नामों से जाना जाता है। जनजाति समाज की संस्कृति अन्य समाजों से भिन्न होती है। उनके रीति रिवाज परम्परा, प्रथा, विश्वास, भाषा और स्थान अलग–अलग होते हैं। इनमें व्यक्तियों का सामाजिक स्तर समान न हो तो तब भी उसमें स्तरीकरण एवं विलगता दिखाई नहीं पड़ती। इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पिछड़ी हुई है। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति का नाम देकर समाज की मुख्य धारा के समकक्ष लाने के उद्देश्य से विशेष प्रावधान किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जारी किये गये अनुसूचित जनजाति की सूची के **अनुक्रमांक 29 पर मझवार** जनजाति उल्लेखित है। गोड़, कंवर और मुण्डा जनजाति के प्रमुखों का एक मिश्रित समूह जो परम्परागत जाति पंचायत के मध्य में बैठते थे, इससे ही माझी तथा मझवार जनजाति की उत्पति साथ–साथ माना गया है। कालांतर में दोनो अलग–अलग स्वतंत्र जनजाति के रूप में विभक्त हुई है। ये प्रोटो–आस्ट्रोलायड प्रजातीय लक्षण के जनजाति हैं। इनका कद मध्यम या छोटा, शरीर दुर्बल या मध्यम, त्वचा का रंग सांवला, बाल लहरदार, चेहरा और नाक चौड़ा तथा कुछ दबा हुआ, मुंछ एवं दाढी कम पाया जाता है। ये आपस में संवाद हेतु सरगुजिहा, छत्तीसगढ़ी बोली तथा हिन्दी भाषा का उपयोग

करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इनका मुख्य निवास क्षेत्र सरगुजा, बलरामपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले है। इनकी जनसंख्या जनगणना वर्ष 2011 में 55320 दर्शित है। इसमें पुरूषों की जनसंख्या 27613 तथा स्त्रियों की 27707 है। कुल साक्षरता 38.3 प्रतिशत दर्शित, जिसमें पुरूषों की साक्षरता 47.0 प्रतिशत तथा स्त्रियों की साक्षरता 29.5 प्रतिशत है।

1. उत्पत्ति एंव निवास :–

मझवार जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। माना जाता है कि गोड़, मुण्डा, और कंवर जनजातियों के मुखिया सदस्यो का एक मिश्रित समूह से हुआ है। जो परम्परागत जाति पंचायत के मध्य में बैठते थे, अतः ये **मझवार कहलाये**। इनकी उत्पत्ति माझी जनजाति के साथ मानी गई है। कालांतर में दोनो अलग–अलग स्वतंत्र जनजाति के रूप में विभक्त हो गये। अधिकांश लक्षण इसमें कोलारियन जनजाति समूह का विधमान है। समाज में प्रचलित किवदंतियो वर्णन–महाभारत के अश्वमेघ पर्व पर मिलता है, प्रसंग में राजा मोरध्वज जो महादानी थे, क्षेत्र में उनके नाम की बहुत चर्चा थी। एक बार उनके परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनके महल में गये, भगवान श्री कृष्ण साधु का रूप धारण किये और अर्जुन को बाघ बनाया, महल में जाकर भीख मांगने लगे कि मेरा बाघ बहुत दिनो से भूखा है, उसे आपके बच्चे का मांस चाहिए। राजा मोरध्वज का एक ही पुत्र ताम्रध्वज था, यह सुनकर रानी तारामती रोने लगी, राजा ने उसे शांत करवाया, फिर राजा ने अपने बच्चे की मांस दान देने के लिए राजी हो गया। इसके बाद राजा और रानी, आरा से अपने बच्चे के सिर से उतारते हुए चीरते हैं, राजा और रानी

की आंखे नम होने लगती है, उतने में श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि आप रोते हुए दान करोगे तो हम दान ग्रहण नहीं करेगें, राजा महादानी था, हंसते—हंसते अपने बच्चे को काटकर दान कर दिया, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गये, और कहने लगे कि जैसा आपके नाम का चर्चा है, वैसे हीं आपका कर्म है। सचमुच में आप महादानी हैं। राजा भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा में पास हो गये, फिर वो दोनो अपने असली रूप में प्रकट होकर उनके बच्चे को पुनः जीवित कर राजा रानी को आर्शीवाद प्रदान कर चले गये। मझवार जनजाति अपने जाति की उत्पत्ति महादानी राजा मोरध्वज से मानते हैं। ये गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वज महादानी थे, हमें उन्ही के रास्ते पर चलना है।

इनका मुख्य निवास क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में है। मझवार जनजाति मुख्यतः सरगुजा, बलरामपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के वनांचल क्षेत्रो में निवासरत हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या सरगुजा जिले में निवासरत है।

2. भौतिक संस्कृति :—

मझवार जनजाति सामान्यतः गोड़, कंवर तथा उरांव आदि जातियों के साथ सुदूर वनांचल के ग्रामों में निवास करती है। इनके घर मिट्टी के बने होते हैं। छप्पर घास फूस या देशी खपरैल से निर्मित होते हैं। घर में सामान्यतः दो—तीन कमरे पाये जाते हैं। कमरे के बाहर ''परछी'' (बरामदा) होता है। दीवार की पुताई सफेद मिट्टी से की जाती है। घर का फर्श मिट्टी का होता है। जिसे गोबर एवं मिट्टी से लीपते हैं। घरेलु वस्तुओं में चारपाई, चक्की, मूसल, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, भोजन बनाने व खाने के बर्तन, कुल्हाड़ी, कृषि उकरण, मछली पकड़ने का जाल आदि पाये जाते हैं।

स्त्री—पुरूष प्रातः उठकर बबूल, नीम, करंज आदि के दातून से दांतो की सफाई करने के पश्चात प्रतिदिन स्नान करते हैं। महिलायें सिर के बाल को मिट्टी से धोकर मुंगफली, तिल, या गुल्ली के तेल लगाकर चोटी बनाकर जूड़ा बांधती हैं।

महिलाओं के हाथ पैर व चेहरे पर गुदना पाया जाता है, ये गहनो की शौकीन होती है।

हाथ में चूड़ी, ऐंठी, गले में सुतिया, रूपया माला, कान में खिनवा, नाक में लौंग, फूली पहनती हैं। जो समान्यतः गीलट या चॉदी से निर्मित होते हैं।

इनका मुख्य भोजन कोदो—कुटकी, चावल भात या पेज है। उड़द, मूंग, कुल्थी की दाल तथा मौसमी सब्जी, कंदमूल, जंगली भाजी भी खाते हैं। मांसाहार में मछली, बकरा, हिरण, खरगोश का मांस खाते हैं। त्यौहार एवं उत्सव पर महुआ से निर्मित पेय पदार्थ पीते हैं। पुरूष बीड़ी पीते हैं।

3. आर्थिक जीवन :—

इस जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि, जंगली उपज संग्रह, मजदूरी आदि पर निर्भर है। कोदो, धान, मूंग, उड़द, अरहर, तिल, मड़िया आदि इनका प्रमुख कृषि उपज है। कृषि भूमि असिंचित होने के कारण उपज बहुत कम उत्पादन होता है। ये जंगली उपज के महुआ, गुल्ली, तेन्दुपत्ता, हर्रा, गोंद, लाख, इमली, धवई के फूल आदि संग्रह कर बेचते हैं। जंगली कंदमूल, फल, भाजी स्वयं के उपयोग के लिए एकत्र करते हैं। पहले हिरण, खरगोश आदि का शिकार भी करते थे। शिकार पर प्रतिबंध होने के कारण वर्तमान में शिकार नहीं करते हैं। वर्षा ऋतु में स्थानीय नाले से स्वयं के उपयोग के लिए मछली पकड़ते हैं।

4. सामाजिक संगठन :—

मझवार जनजाति में कोई उपजाति होने का उल्लेख नहीं मिलता है। जाति बर्हिविवाही गोत्रों में विभक्त है। इनके प्रमुख गोत्र भैंसा, सुरही, राटी, साहड़ा, भेलवा, बाघ, झिंगा, चुटरू, डुमर, नाग, खोकसा, भण्डारी, डांग सुवा, खुंटा, धानकी, कमान, बाम्बी, चिंगरी, केकरा, आदि है। गोत्र में जीव जन्तु, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि टोटम पाये जाते हैं।

5. जीवन संस्कार :–

इस जनजाति की गर्भवती महिलाएँ प्रसव के दिन तक अपनी आर्थिक तथा पारिवारिक कार्य करती हैं। गर्भावस्था में कोई विशेष संस्कार नहीं पाया जाता है। प्रसव बुजुर्ग महिला की देखरेख में घर में ही किया जाता है। बच्चे का नाल घर में गड़ाते हैं। प्रसुता को कुल्थी, छिंद की जड़, सरई छाल, ऐंठीमुड़ी, गोंद, सोंठ, गुड़ आदि की काढ़ा बनाकर पिलाते हैं। छठे दिन छठी मनाते हैं। नवजात शिशु तथा प्रसुता को नहलाकर देवी–देवता एवं सूर्य आदि को प्रणाम कराते हैं। रिश्तेदारों को भोजन कराते हैं, तथा मंद या हड़िया पिलाते हैं।

6. विवाह संस्कार :–

विवाह उम्र लड़को का 18 से 21 वर्ष व लड़कियों का 18 से 20 वर्ष माना जाता है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। विवाह में वर के पिता वधु के पिता को अनाज, दाल, गुड़, तेल तथा पचास से सौ रूपये "सुक भरना" के रूप में देते है। विवाह मुख्यतः मंगनी, सगाई, ब्याह और गौना के रूप में पूर्ण होता है। फेरा लगवाने की रस्म जाति का प्रमुख या मुखिया करता है। सेवा विवाह, घुसपैठ, सहपलायन, विधवा पुनर्विवाह, देवर भाभी पुनर्विवाह को भी सामाजिक मान्यता है।

7. मृत्यु संस्कार :–

मृत्यु उपरांत मृतक को दफनाते हैं। विशिष्ट व्यक्ति जो शव दाह का खर्च वहन कर सकता हो को जलाते हैं, तीसरे दिन परिवार के पुरूष सदस्य दाढ़ी, मूंछ तथा सिर का मुण्डन कराते हैं। दसवे दिन स्नान के पश्चात पूर्वजो की पूजा कर मृत्यु भोज देते हैं।

8. जाति पंचायत :–

मझवार जनजाति में परम्परागत जाति पंचायत (सामाजिक पंचायत) पायी जाती है। जाति पंचायत के प्रमुख को "गौटिया" कहा जाता है। इस पंचायत में विवाह, तलाक, अनैतिक सम्बंध, उत्तराधिकार आदि विवादों का परम्परागत तरीको से निराकरण किया जाता है।

9. धार्मिक एंव लोक परम्पराएँ :–

मझवार जनजाति के प्रमुख देवी–देवता ठाकुर देव, बुढादेव, दुल्हादेव, भीमसेन,

बगरमपाट, बूढीमाई, कंकालिन माई, आदि है। हिन्दु देवी देवता राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान तथा सूर्य, चन्द्रमा, धरती, नदी, वृक्ष, नाग आदि की भी पूजा करते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार हरेली, पोला, नवाखाई, दशहरा, दिवाली, करमा पूजा, होली आदि हैं। भूत–प्रेत, जादू–टोना, पर भी विश्वास करते हैं। इस जनजाति के लोग करमा पूजा के अवसर पर करमा नृत्य, भोजली उत्सव पर भुजलिया नृत्य, विवाह पर विवाह नृत्य, होली पर रहस, दिवाली पर महिलायें पड़की नृत्य करते हैं। इनके लोक गीतो में करमा गीत, सुवागीत, फाग, विवाह गीत, ददरिया गीत, भजन आदि प्रमुख हैं।

अध्याय – 4

मझवार जनजाति में प्रथागत कानून

प्रथागत रूढिजन्य कानून से तात्पर्य उन नियमों और सिंद्वातों से है, जो एक विशिष्ट समुदाय में एक लंबे समय से वास्तव में व्यवहार में लाए जा रहें हैं। इन नियमों का कानून जैसा प्रभाव रहता है। सार रूप में रूढ़िजन्य कानून स्थानीय कानून का भाग है, जो एक राज्य के भीतर स्थान विशेष में लागू होता है, जहां इनका व्यवहार किया जाता है। इनकी जड़े चिरकालीन परम्पराओं से आती है। जो राज्य के विशिष्ट भाग में प्रचलित होते हैं, और इसलिए इसमें कानून का प्रभाव होता है। ये अनेक कारणो से अस्तित्व में आए हैं। जब कुछ प्रकार की क्रियाओं को सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो सामान्यतः लम्बे समय तक इनको व्यवहार में लाया जाता है तब ये परम्परायें बन जाती है। कई बार ये तत्कालिन घटना के आधार पर जन्म लेती है। इसके अस्तित्व में आने के अन्य कारण अनुकरण, सुविधा आदि भी हो सकते हैं। जब इन्हे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तो वे नागरिक कानून का भाग बन जाते हैं।

मझवार जनजाति में प्रचलित रूढ़ीजन्य प्रथाएं

मझवार जनजाति समाज में शिशु जन्म, विवाह एवं परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने पर एक पूर्व निश्चित नियमों के अंतर्गत कुछ अनुष्ठानों को पूर्ण करना पड़ता है। यद्यपि परिवारों को सामाजिक–आर्थिक स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विविधता दिखाई देती हैं, किन्तु समाज के कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इन्हें ही जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। ये जीवन संस्कार, जन्म, विवाह एवं मृत्यु से जुड़े होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में इन संस्कारों से संस्कारबद्ध होना पड़ता है।

मझवार जनजाति में मुख्यतः तीन प्रकार की जीवन संस्कार किया जाता है। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार इन संस्कारो को करते समय विभिन्न प्रकार की रूढिजन्य प्रथाओं का पालन किया जाता है जो निम्नलिखित है–

जन्म संस्कार से संबधित प्रथाएँ

प्रसव हेतु सुईन बुलाने की प्रथा :– मझवार जनजाति में प्रसव के समय सुईन (प्रसव कार्य में दक्ष) सामाजिक स्थिरीकरण में अपने से नीचे जाति जैसे– उरांव एवं निम्न जाति (जिनके घर का पानी नहीं पीते हैं) के महिला को बुलाकर प्रसव कराया जाता है। प्रसव कार्य के बदले सुईन को पांच सौ रूपये देने की प्रथा मझवार समाज में थी।

नामकरण करने की प्रथा :– मझवार समाज में प्रसव के पांचवे या सातवें दिन नवजात शिशु का नामकरण के पूर्व बच्चे का पीतर मिलान किया जाता है। पीतर मिलान करने के लिए मझवार जनजाति में फुल कांस के लोटा में पानी भर कर घर का मुखिया व तीन चार अन्य सदस्य मिलकर उसमें पितरों के नाम से दो–दो खड़ा चावल बारी–बारी से लोटा में डालते है, यदि चावल पानी में नहीं डुबता है पानी के उपर में तैरने लगता है, तो फिर उन्हीं के नाम से या उनके शुरूवात के वर्ण से बच्चे का नाम चयन किया जाता है। यदि चावल का दाना पानी में डुब जाता है तो नवजात शिशु पीतर के रूप में जन्म नहीं लिया है, ऐसे में अपने हिसाब से बच्चे का नामकरण किया जाता है। छट्ठी के दिन नाई, घोबी को बुलाना अनिवार्य है। नाई छट्ठी कार्यक्रम में सम्मिलित सदस्यों का दाढ़ी मुंछ बनाता है। धोबी घर के सभी सदस्यों का कपड़ा साफ करता है। सेवा के बदले में उन्हें पांच–पांच सौ रूपया वर्तमान में दिया जाता है।

अन्नप्राशन करने की प्रथा :–मझवार जनजाति में बच्चे का अन्नप्राशन जल्दी मनाने की प्रथा है, लडकी का अन्नप्राशन पांच माह में मनाने की प्रथा है। इस दिन दूध खीर पकाकर नया कांश बर्तन में शिशु को खिलाया जाता है। जिसे मुंह जुठराई कहते हैं।

विवाह संस्कार से संबंधित प्रथाएँ

मझवार समाज में मॉ बाप अपने बच्चों का विवाह करने के पश्चात् वे अपने कर्तव्यों को पूरा हो गया समझते हैं। विवाह के पश्चात् ही जीवन को एक नई दिशा मिलता है, जीवन में स्थिरता आने लगता है। मझवार जनजाति में विवाह के समय विभिन्न प्रथाओं का पालन किया जाता है, जो निम्न है–

(1) बर्हिविवाही प्रथा :– मझवार जनजातियों में गोत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। गोत्र एक बर्हि विवाही समूह होता है। गोत्र की उत्पति एक पूर्वज से मानी जाती है। जो कि कल्पित अथवा वास्तविक हो सकता है। तथा यह आवश्यक नहीं है कि पूर्वज मनुष्य ही हो। वह एक पशु, पक्षी, पेड़, पौधा तथा अन्य भौतिक प्रदार्थ भी हो सकता है। एक पूर्वज की सन्तान होने के कारण एक गोत्र के सदस्य आपस में भाई–भाई या भाई–बहन का संबंध मानते हैं। अतः उनमें परस्पर विवाह निषेध होता है। अर्थात मझवार जनजाति में समगोत्रीय विवाह नहीं करने का प्रथा प्रचलित है।

(2) वधु मूल्य प्रथा :– मझवार जनजातियों में वधु मूल्य के अंतर्गत विवाह के समय वर पक्ष को वधु पक्ष को कुछ मुल्य देना होता है। यह विवाह की अनिवार्यता है और इसके बिना विवाह नहीं हो सकता है। इनकी जाति में वर्तमान समय में पांच सौ एक रूपया, 7 नग साड़ी, 3 खण्डी चावल, 20 किलोग्राम दाल, सुखा सब्जियॉ जैसे– आलु, प्याज, आदि लड़का पक्ष वाले लड़की के मॉ–बाप को अनिवार्य रूप से देना होता है।

(3) लमसेना रखने की प्रथा :– वधु मूल्य प्रथा की व्यापकता और अधिक वधु मूल्य के कारण गरीब मझवार व्यक्तियों के लिए विवाह कठिन हो जाता है। इसके दल के लिए अत्यधिक गरीब मझवार परिवारों के वधू और माता–पिता की सेवा करने की प्रथा पायी जाति है। इसी प्रथा को लमसेना रखने की प्रथा कहा जाता है। इसी प्रथा को सेवा–विवाह भी कहा जाता है।

(4) दूध लौटाने की प्रथा :– अधिकांश जनजातियों में ममेरे, फुफेरे के बच्चो के बीच विवाह को प्राथमिकता दिया जाता है। इसे भ्राता भागनी संतति विवाह भी कहा जाता है। मझवार जनजाति में पूर्व में दूध लौटाने की विवाह प्रथा प्रचलन में था। लेकिन अभी वर्तमान समय में बहुत ही कम लोग इस प्रथा के तहत विवाह करते हैं।

मृत्यु संस्कार से संबंधित प्रथाएँ

(1) शव को दफनाने की प्रथा :— मझवार जनजाति में शव को शमशान घाट में उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण दिशा में पैर को रखकर जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाया जाता है। तथा शव को पहला मिट्टी उसका बड़ा पुत्र देता है। महिलाए शव यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का लड़की संतान होने पर उसके भाई के लड़को से पहली मिट्टी दिलवाने की परम्परा पाया जाता है। उसके बदले में उनके भतीजे को कुछ दान (जमीन या पैसा) के रूप में दिया जाता है। तभी वह मुण्डन संस्कार में शामिल होता है।

(2) तीज नहावन, दसनहावन करने की प्रथा :— मझवार जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर तीन दिन में तीज नहावन, नौ दिन में नहावन, एवं दसवें दिन दस नहावन का कार्यक्रम किया जाता है। सभी कार्यक्रमों में नाई तथा धोबी को बुलाया जाता है। नाई कार्यक्रम में उपस्थित सामाजिक बन्धुओं को दाढ़ी मुंछ बनाता है तथा धोबी घर के सभी व्यक्तियों के कपड़ों को धोता है। जिस घर में व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस घर को अपवित्र माना जाता है। उस घर में खाना नहीं बनाया जाता है। चूंकि घर के सभी सदस्य अपवित्र है ऐसे स्थिति में सामाजिक

भाई—बन्धु लोग ही सभी कार्यक्रम सम्पन्न होने तक दूसरे जगह खाना बनाकर खिलावते है। नाई और धोबी को सेवा के बदले में सात—सात सौ रूपये देने की व्यवस्था सामाजिक तौर पर रखा गया है।

(3) सम्पत्ति बटवारा संबंधी प्रथाऍं :— मझवार जनजाति में पैतृक सम्पत्ति में पुत्रों का समान अधिकार होता है। पुत्रियों को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है। सम्पत्ति को सभी भाईयों में समान अनुपात में बांटा जाता है। लेकिन यदि मां बाप जीवित होने पर सबसे पहले कुछ जमीन मां—बाप के अलग करने के पश्चात जमीन का समान अनुपात में बाटा जाता है। तथा सबसे बड़े भाई को अधिक जवाबदेही निभाने के कारण कुछ ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। जिसे टिकाईत, टिकैत, जेठोरी देने की प्रथा कहा जाता है।

(4) घर की देवी देवताओं का पुरूष सदस्य द्वारा पूजा करने की प्रथा :— मझवार जनजाति में प्रत्येक गोत्र में अपना अलग—अलग कुलदेवी—देवता होता है। जिसका विभिन्न अवसरों में त्यौहारों में मुखिया पुरूष सदस्य द्वारा ही पूजा करने की प्रथा है मझवार महिलाओं को अपने घर की देवी—देवता का पूजा करने का अधिकार नहीं है।

(5) मासिक धर्म में अलग कमरे में रहने की प्रथाएं :— मझवार जनजाति में जब स्त्रियों का मासिक धर्म आता है। तो वह अपने पति के साथ नहीं रहती है। उनके लिए एक अलग कमरा निर्धारित रहता है। उसी कमरे में रहती है, और घर के अंदर वाले कार्य को करने में निषेध रहता है, घर के बाहर वाले कार्य लकड़ी, पानी जंगल से ला सकती है। खेत खार गोशाला, रसोई कमरा में जाना मना रहता है। मासिक धर्म पूरा होने पर स्नान एवं कपड़ा की साफ सफाई के पश्चात ही घर में प्रवेश कर खाना व घर के अंदर वाले कार्य कर सकती है।

(6) रिश्ते नातेदारी संबंधी प्रथाऍं :— मझवार जनजाति में तीन प्रकार को रिश्ते नादेदारी संबंध पाये जाते है। 1. परिहार संबंध 2. परिहास संबंध 3. माध्यमिक सम्बोधन वाली संबंध। सभी प्रकार की नातेदारी संबंध की अपनी—अपनी मर्यादा में रह कर निभाना पड़ता है। जैसे परिहास संबंधमें स्त्रियां अपने पति के बड़े भाई तथा पति के पिता से पर्दा करती है। अनुज वधू और जेढ एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते है तथा एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते है। इसी प्रकार पुरूष का भी पत्नि के बड़ी बहन से परिहास संबंध रखने की प्रथाएं मझवार समाज में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पति के बड़े भाई पिता का नाम पत्नी नहीं ले सकती ऐसे में बच्चों के नाम लेकर पिता बड़े पिता, दादा आदि से सम्बोधन करती है। कोई सामाजिक उल्लंघन करता है, तो उसे समाज के द्वारा दण्डित किया जाता है।

———0———

अध्याय – 5

परम्परागत न्याय व्यवस्था

प्रायः सभी जनजाति समाज में सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए परम्पारगत न्याय व्यवस्था (जातीय पंचायत) होती है, जो समाज के सदस्यों के सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है। जातीय पंचायत के माध्यम से जाति समाज के परम्परागत प्रथाओं, परम्पराओं, रिवाज जो जनजाति समाज की पहचान है और पीढ़ीयों से चली आ रही है को सभी सदस्यों से पालन करवाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत् मझवार जनजाति के द्वारा समाज सुधार तथा जाति से संबंधित सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने तथा समाज में अमन सुख शांति स्थापित करने के उद्देश्य से चार स्तरीय जाति पंचायत का गठन किया गया है।

1

ग्राम स्तारीय सभा– यह सभा सभी मझवार निवासरत ग्रामों में होता है।

2

सर्किल सभा– सर्किल स्तर में 2, 4, 6 या ज्यादाग्राम मिलाकर, एक सर्किल सभा होता है।

3

उप गद्दी (सभा)– कम से कम 7 सर्किल सभा में एक उपगद्दी सभा होती है।

4

केन्द्रीय गद्दी सभा– केन्द्रीय गद्दी सभा मझवार जनजाति की सर्वोच्च सभा है।

कार्यकारिणी :– प्रत्येक स्तर के जातीय पंचायत की सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए समाज के सदस्यों द्वारा योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों का चयन किया जाता है। जो उस सभा का संचालन कर सके इन्हे **कार्यकारिणी** कहा जाता है। विभिन्न स्तर में पाये जाने वाले कार्यकारिणी का विवरण निम्न है :–

1. **ग्राम स्तरीय सभा के सदस्य –** मझवार जनजाति में ग्राम स्तरीय जातीय पंचायत ग्राम सभा निम्न तीन प्रकार की पदाधिकारियों से मिलकर बनता है।

पंच – 3 पुरूष पंच, 3 महिला पंच

सहयोगी पंच – सभी मुखिया पंचों का सहयोगी पंच होगा जो पंचों द्वारा चुना जायेगा।

समाज सिपाही – 1 या 2

ग्राम के मझवार समाज मिलकर ग्राम स्तरीय सभा के पदाधिकारियों के चयन करते है। यह प्रक्रिया प्रत्येक मझवार निवासरत ग्रामो में किया जाता है। यदि किसी गांव में कम परिवार निवासरत है तो, ऐसी स्थिति में दो, तीन या चार गांवो को मिलाकर ग्राम स्तरीय सभा का गठन किया जाता है। ग्राम स्तरीय सभा में तीन पुरूष पंच, तीन महिला पंच का चयन गांव वाले सर्वसम्मति से करते है। सभी पंच मिलकर एक सहयोगी पंच व समाजिक बैठक की सूचना पहुचानें के लिए एक या दो समाज सिपाही का चयन करते है। चयनित सदस्यों के द्वारा ग्राम सभा का संचालन किया जाता है। इनके कार्यकाल की निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है। जब तक इनके कार्यो से समाज के लोग संतुष्ट रहते है तब तक ये पदो पर बने रहते हैं। ग्राम स्तर के सामाजिक समस्याओं का निराकरण ग्राम स्तरीय सभा के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। यदि ग्राम स्तरीय सभा किसी प्रकरण में निर्णय नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में सर्किल सभा के पास प्रकरण हस्तांतरित किया जाता है।

2. **सर्किल सभा :–** मझवार जनजाति समाज के जनसंख्या तथा गांव से गांव की दूरी, को ध्यान में रखकर दो, चार, छः या इससे अधिक गांव को शामिल कर एक सर्किल सभा का गठन किया जाता है। सभी ग्राम स्तरीय सभा (जातीय पंचायत) के पंचों द्वारा सर्व समिति से निर्णय लेकर निम्न पदाधिकारियों का चयन करते है।

- सर्किल पंच
- समाज सिपाही

सर्किल पंच सर्किल क्षेत्र का पदाधिकारी होगा। सर्किल पंच आवश्यकतानुसार एक या दो समाज सिपाही नियुक्त कर सकता है। ग्राम सभा सहयोगी पंच तथा सर्किल पंच मिल जातीय समाज के जातीय समस्याओं, कठिनाईयों को हल करते हैं। हल न कर पाने की स्थिति में उपगद्दी या केन्द्रीय गद्दी सभा से सहयोग ले सकते है, ताकि सामाजिक समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जा सके।

2. **उप गद्दी सभा** :— उप गद्दी सभा का गठन जाति समाज की जनसंख्या, गांव की संख्या, उप गद्दी से उप गद्दी की दूरी तथा दूरी को ध्यान में रखकर सर्किल पंचों, गद्दी प्रतिनिधियों की राय से उप गद्दी का गठन किया जाता है। उप गद्दी सभा में निम्न पदाधिकारी होते है।

- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- महामंत्री
- उप महामंत्री
- कोषाध्यक्ष
- उप कोषाध्यक्ष

कार्य :— सर्किल सभा से किसी विवाद में निर्णय नहीं हो पाने की स्थिति में उप गद्दी के द्वारा विवाद का निपटारा करना। इसके साथ ही जातीय समाज की जाति समस्या तथा कठिनाईयों का निराकरण करना।

उप गद्दी सभा का क्षेत्राधिकार :—उप गद्दी सभा सात सर्किल सभा या इससे अधिक सर्किल सभा से मिलकर बनता है। अपने अधिकार क्षेत्र की समस्याओं का हल करना तथा सामाजिक नियमों को विधिवत पालन करवाना है।

केन्द्रीय गद्दी सभा :— केन्दीय गद्दी सभा मझवार जनजाति की सर्वोच्च जातीय पंचायत सभा होती है। सम्पूर्ण मझवार जाति समाज का संचालन, नियमावली बनाने, संशोधन करने, प्रचार प्रसार, इसी सभा के द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण मझवार समाज का नेतृत्व इसी संस्था के माध्यम से किया जाता है। जिसमें निम्न पदाधिकारी होते है :—

- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष

- महामंत्री
- उप महामंत्री
- कोषाध्यक्ष
- उप कोषाध्यक्ष

केन्द्रीय गद्‌दी सभा के कार्यकारिणी का चयन :– केन्द्रीय गद्‌दी सभा के कार्यकारिणी का चयन ग्राम सभा, सर्किल सभा एवं उप गद्‌दी सभा के कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लेकर केन्द्र गद्‌दी सभाके पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है।

केन्द्रीय गद्‌दी सभा का कार्य :–

- सम्पूर्ण मझवार जाति समाज का नेतृत्व करना।
- समय–समय पर ग्राम स्तर, सर्किल स्तर, उप गद्‌दी स्तर के सभा का अवलोकन कर समाज तथा समाज के पदाधिकारियों में उचित मार्ग दर्शन करना तथा समाज सुधार की दिशा में तत्पर रहकर समाज को तरक्की विकास की दिशा में आगे ले जाने का प्रयास करना है।
- जाति समाज की समस्याओं का निराकरण करना।
- जाति समाज में प्रेम सहयोग भाईचार की भावना स्थापित करना ।
- उप गद्‌दी सभा से किसी विवाद में निर्णय नहीं हो पाने की स्थिति में केन्द्र गद्‌दी
- सभा के द्वारा विवाद का निपटारा करना। वर्तमान तक कोई भी विवाद केन्द्रिय गद्‌दी सभा तक नहीं पहुचा है।

मझवार जनजाति की सामाजिक नियमावली

मझवार जनजाति के द्वारा अपने परम्परागत रीति रिवाज को संरक्षित करने तथा समाज में व्याप्त सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए, समय–समय पर नियम बनाये गये है। जिसमें दंण्ड का भी प्रावधान किया गया है। विभिन्न विवादों के लिए समाज के द्वारा अलग–अलग दंण्ड निर्धारित किया गया है। विवादवार दंण्ड का विवरण निम्न है :–

1. **शराब बनाकर बेचने एवं पिलाने पर :—** मझवार जनजाति के द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक बुराई नशाखोरी को दूर करने के लिए, समाज के द्वारा शराब बनाना, बनाकर बेचना, पिलाना अपराध या अवैध कार्य मान कर दंण्ड का प्रावधान किया गया है।

दंण्ड :— शराब बनाने पिलाने वाले व्यक्ति को सामाजिक अर्थदण्ड के रूप में 500 रूपये देना होगा, नही देने पर उसे समाज से बहिष्कृत करने का प्रावधान किया गया है।

2. **चोरी करने तथा जुआ खेलने पर :—** मझवार जनजाति के द्वारा समाज के व्यक्तियों को चोरी, जुआ जैसे सामाजिक बुराईयों से बचाने के लिए, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। चोरी करते हुए या जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर निम्नदंण्ड का प्रावधान है।

दंण्ड :— चोरी करने, जुआ खेलने पर व्यक्ति को सामाजिक अर्थदण्ड के रूप में 500 रूपये देना होगा, नही देने पर उसे समाज से बहिष्कृत करने का प्रावधान किया गया है।

3. **बाल विवाह पर :—** मझवार जनजाति में पहले अधिकांश परिवारो के द्वारा अपने बच्चो का बहुत ही कम उम्र में विवाह कर देते थे, मानसिक एवं शारीरिक परिपक्वता नहीं होने के कारण उनसे होने वाले बच्चे अनेक प्रकार के बिमारियों एवं कुपोषण के शिकार हो जाते थे। इसलिए मझवार जनजाति के द्वारा शासन द्वारा विवाह की निर्धारित विवाह का उम्र लड़का के लिए 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को समाज के द्वारा दण्डित करने का प्रावधान है।

दंण्ड :— बाल विवाह करने पर दोनो पक्षो को 1000 रूपये से दंडित करने प्रावधान है दण्ड नही चुकाने पर जाति समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

4. **वर या घर देखने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या :—** मझवार जनजाति में सगाई संस्कार के पूर्व वर घर देखने की प्रथा प्रचलित है, कन्या पक्ष बारात सजाकर वर का घर देखने के लिए जाते है वर पक्ष कन्या पाने की लालच में अपनी प्रतिष्ठा को दाव लगाकर अपने, जमीन, गहना आदि को बेचकर या गिरवी रखकर कन्या पक्ष को खुश करने के लिए, खाने पीने में बेफिजुल खर्च करते है। ऐसी कुरीति पर रोक लगाने के लिए समाज के द्वारा वर या उसके घर को देखने जाने के लिए चार—पांच व्यक्ति निर्धारित किया गया है, यदि इससे ज्यादा व्यक्ति ले जाने पर दंण्ड का प्रावधान किया गया है।

दण्ड :— निर्धारित 4—5 से ज्यादा व्यक्ति ले जाने पर लड़की पक्ष को 1000रूपये से दंडित करने प्रावधान है दण्ड नही चुकाने पर जाति समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

5. **विवाह में शराब सेवन करने पर :–** मझवार जनजाति में विवाह संस्कार में बाराती अथवा घराती दोनो पक्ष को शराब (दारू) सेवन करना वर्जित है। उल्लंघन करने पर समाज के द्वारा उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया गया है।

दंण्ड :– विवाह के समय दोनो पक्ष में से किसी के द्वारा शराब का सेवन करने पर 1000 रूपये से दंडित करने प्रावधान है दण्ड नही चुकाने पर जाति समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

6. **सगाई के पश्चात कन्या पक्ष के द्वारा शादी से इंकार करने पर :–** मझवार जनजाति में सगाई के पश्चात् कन्या के द्वारा शादी से मना करने पर दंण्ड का प्रावधान है।

दंण्ड :–कन्या पक्ष के द्वारा दण्ड के रूप में समाज को 5000 रूपये जुर्माना भरने का प्रावधान है। इसमें से 3500 रूपये लड़के पक्ष को दिया जायेगा, शेष राशि 1500 रूपये समाज में जमा किया जाता है। सामाजिक निर्णय के पूर्व कन्या पक्ष से कोई लड़का विवाह नही कर सकता।

7. **सगाई के पश्चात वर पक्ष के द्वारा शादी से इंकार करने पर :–** मझवार जनजाति में सगाई के पश्चात् वर पक्ष के द्वारा शादी से मना करने पर दंण्ड का प्रावधान है।

दण्ड :– वर पक्ष सगाई के पश्चात विवाह से इंकार करता है तो वक्ष पक्ष को 5000 रूपये का दण्ड का प्रावधान है। इसमें से 2500 रूपये कन्या पक्ष को मानहानि के रूप में दिया जाता है, शेष 2500 रूपये सामाजिक समझौता फीस के रूप में समाज में जमा किया जाता है। सामाजिक निर्णय के पूर्व लड़के पक्ष को कोई लड़की नही दे सकता ।सगाई के पूर्व वर पक्ष द्वारा कोई भी सामग्री या नगद रूप में लेना–देना प्रतिबंध है।

8. **जाति समाज के अविवाहित लड़का लड़की साथ में भाग जाने पर :–** मझवार जनजाति में सहपलायन विवाह को मान्यता प्राप्त है, लेकिन माता–पिता को बिना बतायें भाग जाने पर दण्ड का प्रावधान है।

दण्ड :–माता–पिता को बिना बतायें भाग जाने पर दोनो पक्षो से 5000–5000 रूपये पंच खर्च के रूप लेकर दोनों पक्ष के परिवारजनों में समझौता कराकर उनका विवाह करा दिया जाता है।

9. **विवाहित स्त्री या पुरूष के अन्यत्र भाग जाने के पर :–** मझवार जनजाति में यदि विवाहित महिला या पुरूष अन्य किसी पुरूष या महिला के साथ संबंध बनाकर अन्यत्र चले जाते है। ऐसी स्थिति में जो पक्ष इस प्रकार की गलती करता है। उसके लिये दण्ड का प्रावधान हैं।

10. **दण्ड :–**शादी के खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़ित पक्ष को 25000 रूपये हर्जाना (बिहाउत या बूंदा) देने का प्रावधान है। जिससे पीड़ित पक्ष इससे विवाह का खर्च वहन कर सके। गलती करने वाला पक्ष निर्धारित समयावधि में जुर्माने की राशि नहीं देता है, तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। बिहाउत (बुंदा) की पूर्ण राशि देने के बाद ही उसे समाज में शामिल किया जाता है।

11 **विवाह में रात भर नाचने गाने पर :–** मझवार जनजाति में विवाह संस्कार में तेल मायन के दिन रात्रि में वर–वधु को तेल लगाने एवं तेल उतारने का रस्म किया जाता है, व साथ–साथ नाच–गान भी किया जाता है, समाज के द्वारा एक निश्चित समय तक नाच गाना करने का नियम बनाया गया है। नियम का उल्लघंन करने पर दण्ड का प्रावधान है।

दण्ड :– निर्धारित समय से अधिक समय नाच–गाना करने पर संबंधित को501 रूपये का अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। सामाजिक दण्ड नही देने पर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

12. **विवाह उपरांत पति को छोडकर दूसरे के साथ रहने तथा कुछ समय पश्चात पुनः पहले पति के पास आने पर :–**विवाहित महिला अपने पति को किसी कारणवश छोड़कर भाग जाने के बाद अपनी स्वेच्छा से दूसरा पति बना लेती है, कुछ समय पश्चात् पूर्व पति के पास लौट आने पर यदि पूर्व पति के द्वारा महिला को पुनः अपना लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में दण्ड का प्रावधान है।

दण्ड :– ऐसी स्थिति मेंपति पत्नी को दो साल या छः माह तक के लिए डिग्री में रखा जाता है। मझवार जनजाति में डिग्री का अर्थ निर्धारित समयावधि बीतने के बाद ही उस पर चर्चा होगी और उचित निर्णय कर उन्हें समाज में मिलाने का प्रावधान है। इसके लिए पुरूष–महिला को सामाजिक भोज का आयोजन कराना पड़ता है।

13. **अंर्तजातीय विवाह लड़का के द्वारा करने पर सामाजिक नियम :–** मझवार जाति का लड़का यदि किसी अन्य जाति की लड़की के साथ अवैध संबंध स्थापित कर एक

साथ पति पत्नी के रूप में जीवन यापन करते है।

दण्ड :–ऐसी स्थिति में गद्दी प्रतिनिधि, सर्किल पंच, गावं समाज मिलकर गंभीरता पूर्वक पुछताछ कर जांच पड़ताल कर अपने जाति समाज में विलय योग्य पाये जाने पर समाज की सम्पूर्ण खर्च की राशि जमा करवा कर एक – दूसरे को माला पहनवाकर पति–पत्नी के रूप में एक–दूसरे को सुपुर्द कर देते हैं। लड़की को समाज में मिलाया तो जाता है, लेकिन उसका सामाजिक भंडारा (रसोई) पर प्रवेश वर्जित रहता है। मझवार जनजाति जिन जातियों को अपने समकक्ष मानती है, उन जातियों के लड़की को समाज में मिलाया जाता है। (मझवार जनजाति गोंड़, कंवर, बरगाह, कुम्हार आदि को अपने समकक्ष मानती है)

14. **अंर्तजातीय विवाह लड़की के द्वारा करने पर** :– मझवार जाति की लड़की किसी अन्य जाति के लड़के के साथ किसी के बहकावे में आकर या अवैध संबंध स्थापित कर अपना पति स्वीकार कर लेती है तो दण्ड का प्रावधान है।

दण्ड :– इस स्थिति में दोनों पति पत्नी को समाज में नहीं मिलाया जायेगा। विशेष परिस्थितियो में समाज उन्हें बाहर से सहयोग कर सकता है।

15. **पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करने पर** :– विवाह हो जाने के उपरांत कोई भी पुरूष अपनी पहली पत्नी की सहमति के बिना दूसरा विवाह (शादी) नहीं कर सकता। ऐसा करने पर दण्ड का प्रावधान हैं।

दण्ड :– किसी भी पुरूष द्वारा इस नियम का उल्लंघन किये जाने पर2500 रूपये का अर्थदण्ड का प्रावधान हैं। आर्थिक दण्ड नहीं देने पर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

16. **विवाह उपरांत मायके में रहने वाली महिलाओं के संबंध नियम** :– विवाहित महिला अगर अपने माता–पिता के घर में रहते हुए किसी अन्य पुरूष से संबंध बना लेती है अथवा विवाह कर लेती है, तो जवाबदेही महिला के माता पिता की होती हैं। ऐसी स्थिति में दण्ड का प्रावधान है।

दण्ड :–विवाहिता के माता–पिता के द्वारा विवाहिता के पूर्व पति को हर्जाने के रूप में 25000 रूपये विहाउत (बूंदा) देना पड़ता है। आर्थिक दण्ड नहीं देने पर उन्हे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

17. **अन्य जाति के व्यक्ति से विवाद होने पर :–** किसी अन्य जाति के व्यक्तियों के साथ विवाद हो जाने पर दण्ड का प्रावधान है।

दण्ड :– इस स्थिति में समाज के उस पुरूष या महिला के द्वारा समाज को सामाजिक भोज कराने का प्रावधान है। सामाजिक भोज नहीं कराने परउन्हे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

18. **पति–पत्नी के बीच विवाद होने पर :–** पति–पत्नी के बीच विवाद होने के कारण पति द्वारा घर से बाहर निकाल देने पर दण्ड का प्रावधान है।

दण्ड :– इस स्थिति में पति के द्वारा पत्नी को हर्जाने के रूप में 500 रूपये देकर सुलह कर वापस लाना होता है, यदि सुलह नही होता है, तो प्रतिमाह हर्जाने के रूप में 1000 रूपये देना होता है। हर्जाना की राशि 25000 हजार से अधिक होने पर, पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। अब पूर्व पति को बिहाउत (बूंदा) की नहीं देना पड़ेगा। यदि वह महिला दूसरा विवाह नही जीवन भर अपने मायके में रहती हैं, तो पूरे जीवन काल तक पति के द्वारा खर्च दिया जायेगा। मृत्यु होने पर उसका क्रियाकरम करने का दायित्व उसके पति का होता हैं। आर्थिकदण्ड नहीं देने पर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

19. **सभा पदाधिकारियों के द्वारा नशा करने पर :–** सभी स्तरीय सभाओं के पदाधिकारियों (गद्‌दी प्रतिनिधियों, सर्किल पंचों, सहयोगी पंचो एंव सिपाहियों) पर नशा करते पकड़े जाने पर दण्ड का प्रावधान है।

दण्ड :– नशा करते पकड़े जाने पर पुरूष या महिला पदाधिकारी से500 रूपये का जुर्माना वसूला जाता हैं। जुर्माना नहीं देने पर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

20. **पहिरानी लेन देन करने पर :–** मझवार जनजाति में विवाह के समय पहिरानी (साडी एंव धोती) लेन देन करने पर दण्ड का प्रावधान हैं।

दण्ड :–इस नियम का पालन नही करने पर दण्ड के रूप में 1000 रूपये दोनों पक्ष से लिया जायेगा।

21. **मृत्यु संस्कार के कार्यक्रम में मांसाहार भोजन खिलाने पर :–** मझवार जनजाति में मृत्यु संस्कार के कार्यक्रम में मांसाहारी भोजन बकरा, मुर्गा, मछली आदि खिलाने पर दण्ड का प्रावधान है।

दण्ड :—नियम उल्लंघन करने पर 501 रूपये का आर्थिक दण्ड देना पड़ता हैं।

22. **सामाजिक कार्यक्रमों में शराब पिलाने पर** :—मझवार जनजाति में सामाजिक कार्यो में शराब पिलाने पर दण्ड का प्रावधान हैं।

दण्ड :—नियम का उल्लंघन करने वाले से 501 रूपये आर्थिक दण्ड है।

23. **दहेज लेने देने पर** :— मझवार जनजाति में दहेज लेना या देना दोनो ही प्रतिबंधित हैं। ऐसा करने पर सजा का प्रावधान हैं।

दण्ड :—दहेज लेने या देने वाले व्यक्तियों को दस वर्ष के लिए समाज से बाहर रखने का प्रावधान हैं।

24. **विवाहित महिला एंव पुरुष के चरित्रहीन होने पर** :— पति पत्नी मे से किसी के द्वारा भी यदि अन्य किसी एक या एक से ज्यादा महिला या पुरुष के साथ संबंध रखने पर सजा का प्रावधान हैं।

दण्ड :— इस स्थिति में दो वर्ष या छः माह के लिए पति या पत्नी को समाज से अलग रखने का प्रावधान है। समय व्यतीत करने के पश्चात ही उसे समाज में मिलाया जाता हैं।

Note

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

फोन: 0771-2960530

E-mail : trti.cg@nic.in, web. : www.cgtrti.gov.in